भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1178
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

कुपोषण की व्याप्ति

1178. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री चुन्नी लाल साहूः
श्री अजय कुमारः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर आदिवासी, ग्रामीण और पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण की घटनाओं को कम करने में असमर्थ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने देश में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले जिलों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने भी देश में कुपोषण की उच्च व्यापकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है और इस संबंध में मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा कुपोषण के उन्मूलन हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधि का योजना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) देश में कुपोषण के उन्मूलन में योजनाओं के क्या प्रभाव हुए हैं;
(च) क्या सरकार का निर्धारित निधियों को लक्षित जनसंख्या तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने और कुपोषण घटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों की पुनर्समीक्षा करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पिछले दो चक्रों (2005-06 में एनएफएचएस-3 तथा 2015-16 में एनएफएचएस-4) के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों में

कुपोषण में कमी आई है । ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	पैरामीटर	ग्रामीण		एसटी		कुल	
		एनएफएचएस-3	एनएफएचएस-4	एनएफएचएस-3	एनएफएचएस-4	एनएफएचएस-3	एनएफएचएस-4
1	विकास अवरोध (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	50.7	41.2	53.9	43.8	48	38.4
2	कमवज़नी (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	45.6	38.3	54.5	45.3	42.5	35.7
3	रक्ताल्पता (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	71.5	59.5	76.8	63.3	69.5	58.5
4	ऊर्जा की चिरकालिक कमी (बीएमआई < 18.5)	38.4	26.8	41.3	31.7	34.2	22.9
5	रक्ताल्पता (महिलाएं15-49 वर्ष)	57.4	54.2	68.5	59.9	55.3	53.1

इसके अलावा, कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसके मुख्यत: अनेक कारण हैं, जिनमें गरीबी, पहुंच और उपलब्धता के मुद्दों के कारण भोजन की अपर्याप्त खपत, असमान खाद्यान्न वितरण, शिशुओं और बच्चों को माताओं द्वारा अनुपयुक्त पोषण और देखरेख, असमानता और जैंडर असंतुलन, साफ-सफाई और पर्यावरण संबंधी खराब दशाएं तथा अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक देखरेख सेवाओं की सीमित उपलब्धता शामिल है ।

(ख) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16 में एनएफएचएस-4) के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक मामलों वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विकास अवरोध तथा 15-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में कम वज़न वाले जिलों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विकास अवरूद्ध (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)		18.5 से कम बीएमआई वाली महिलाएं (15-49 वर्ष)	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2	आंध्र प्रदेश	1
2	अरुणाचल प्रदेश	4	असम	14
3	असम	8	बिहार	38
4	बिहार	36	छत्तीसगढ़	15
5	छत्तीसगढ़	8	दादरा और नगर हवेली	1
6	दादरा और नगर हवेली	1	गुजरात	17
7	गुजरात	16	हरयाणा	1
8	हरयाणा	5	झारखंड	23
9	जम्मू और कश्मीर	2	कर्नाटक	11
10	झारखंड	24	मध्य प्रदेश	44
11	कर्नाटक	9	महाराष्ट्र	23
12	मध्य प्रदेश	35	दिल्ली	1
13	महाराष्ट्र	15	ओडिशा	22
14	मेघालय	4	राजस्थान	29
15	नगालैंड	1	तमिलनाडु	1
16	दिल्ली	1	तेलंगाना	7

17	ओडिशा	11	त्रिपुरा	1
18	राजस्थान	16	उत्तर प्रदेश	51
19	सिक्किम	1	उत्तराखंड	2
20	उत्तर प्रदेश	63	पश्चिम बंगाल	10
21	उत्तराखंड	1		
22	पश्चिम बंगाल	4		
कुल	22	267	20	312

(ग) : देश में कुपोषण की स्थिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों में परिलक्षित होती है । महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यूनीसेफ तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श एक सतत प्रक्रिया है ।

(घ) : सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को हल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनेक कार्यक्रम/स्कीमें क्रियान्वित कर रही है । यह मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में छत्रक समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पोषण अभियान, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं तथा किशोरियों के लिए स्कीम क्रियान्वित कर रहा है । इन स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित/निर्मुक्त तथा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I, **II**, **III** तथा **IV** में दिया गया है ।

(ड.) से (छ) : ये सभी स्कीमें पोषण से संबंधित किसी न किसी मुद्दे का समाधान करती हैं और इनमें देश में पोषाहारीय स्थिति को सुधारने की क्षमता है । संबंधित प्रयासों के फलस्वरूप देश में कुपोषण के स्तर में कमी आई है, जैसा कि 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट से स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक सहक्रिया और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर पूरे जीवनचक्र में देश में कुपोषण को एक चरणबद्ध तरीके से कम करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2017 में पोषण अभियान की शुरू किया । इस अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख कार्य हैं : विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना; सेवा प्रदायगी और अंत:क्षेपों के सुदृढ़ीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर; लोगों को पोषाहारीय पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में सामुदायिक संघटन तथा जागरुकता विकास; अग्रणी कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना ।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

'कुपोषण की व्याप्ति' विषय के बारे में दिनांक 28.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में पोषण अभियान के तहत निर्मुक्त निधि तथा व्यय की गई निधि की स्थिति

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्मुक्त निधि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रयुक्त निधि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्मुक्त निधि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रयुक्त निधि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	1284.63	0.00	8604.68	3011.16	-
2	अरुणाचल प्रदेश	52.93	0.00	2663.35	1709.66	-
3	असम	2298.27	0.00	15492.36	785.58	-
4	बिहार	6724.06	0.00	15001.67	5380.00	-
5	छत्तीसगढ़	965.45	0.00	9629.51	1550.93	-
6	दिल्ली	945.95	0.00	2206.88	140.45	-
7	गोवा	238.07	0.00	197.78	0.00*	-
8	गुजरात	3036.66	0.00	11228.04	2606.06	-
9	हरयाणा	400.97	0.00	5992.46	310.11	-
10	हिमाचल प्रदेश	1557.26	0.00	4153.15	1288.28	-
11	जम्मू और कश्मीर	388.59	0.00	8343.52	1417.25	-
12	झारखंड	1555.35	0.00	5110.45	305.19	-
13	कर्नाटक	3351.05	0.00	9870.89	0.00*	-
14	केरल	1273.37	0.00	6491.91	137.78	-
15	मध्य प्रदेश	3441.49	0.00	15894.17	5516.17	-
16	महाराष्ट्र	2572.31	0.00	20989.28	11379.26	-
17	मणिपुर	340.46	0.00	3865.37	1233.24	-
18	मेघालय	462.98	0.00	1713.27	1512.60	-
19	मिजोरम	119.38	119.38	957.65	689.84	-
20	नगालैंड	163.74	0.00	1251.97	811.06	-
21	ओडिशा	4600.46	0.00	10571.65	0.00#	-
22	पुडुचेरी	39.24	0.00	393.70	104.33	-
23	पंजाब	819.51	0.00	6090.33	30.88	-
24	राजस्थान	2045.73	0.00	9680.99	3078.70	-
25	सिक्किम	98.59	0.00	328.47	157.16	-
26	तमिलनाडु	1340.51	0.00	12210.93	2692.37	-
27	तेलंगाना	1736.94	0.00	8595.70	2897.82	-
28	त्रिपुरा	277.91	0.00	3695.72	606.01	-
29	उत्तर प्रदेश	8440.60	0.00	29582.87	5986.37	-
30	उत्तराखंड	1866.25	0.00	4301.57	1030.43	-
31	पश्चिम बंगाल	5545.27	0.00	19294.11	0.00#	-
32	अंडमान और निकोबार	100.22	0.00	416.89	109.27	307.62
33	चंडीगढ़	158.88	0.36	306.82	132.85	173.97
34	दादरा और नगर हवेली	108.83	0.00	129.32	123.98	114.16
35	दमन और दीव	42.06	0.00	197.66	65.68	131.98
36	लक्षद्वीप	60.00	0.00	138.90	72.15	126.75
	संपूर्ण	58453.97	119.74	255593.99	56872.62	854.48

* - यथा 31.03.2019 को राज्यों ने निधि का केंद्रीय शेयर का उपयोग नहीं किया है

- राज्यों सरकारों से वित्तीय विवरणीय/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं

नोट : उल्लेख किया जाता है कि एनएनएम (पोषण अभियान के रूप में पुन:नामित) की स्थापना 18.12.2017 को हुई है ।

अनुलग्नक-II

'कुपोषण की व्याप्ति' विषय के बारे में दिनांक 28.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत निर्मुक्त निधि तथा व्यय की गई निधि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2017-18** (रूपये लाखों में)		**2018-19** (रूपये लाखों में)		**2019-20 (18.06.2019 तक)** (रूपये लाखों में)	
		स्वीकृत/निर्मुक्त	प्रयुक्त	स्वीकृत/निर्मुक्त	प्रयुक्त	स्वीकृत/निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	अंडमान व निकोबार	163.08	43.16	41.13	117.63	45.75	18.06
2	आंध्र प्रदेश	7022.36	4210.48	14101.75	17579.80	0.00	3379.97
3	अरुणाचल प्रदेश	912.83	0.95	36.00	265.75	0.00	43.55
4	असम	10448.26	418.96	817.00	3750.34	0.00	2274.71
5	बिहार	17351.38	575.70	1253.00	6228.22	0.00	3949.44
6	चंडीगढ़	290.41	110.95	248.08	306.34	56.33	47.56
7	छत्तीसगढ़	4382.58	768.94	2025.85	4996.29	0.00	1540.08
8	दादर व नागर हवेली	102.62	8.44	75.85	100.67	0.00	13.22
9	दमन और दीव	61.56	0.05	28.98	56.11	0.00	10.23
10	गोवा	168.85	62.83	107.26	274.05	0.00	34.79
11	गुजरात	10186.87	2535.60	5958.97	12910.20	0.00	2896.49
12	हरियाणा	4324.30	1325.51	3674.84	8218.84	0.00	1377.05
13	हिमाचल प्रदेश	1821.64	441.95	1793.84	2754.96	329.74	651.30
14	जम्मू और कश्मीर	3137.84	110.92	828.42	2591.31	0.00	584.07
15	झारखंड	5622.70	700.93	1453.37	5969.64	0.00	903.66
16	कर्नाटक	10248.81	2240.83	6361.72	13229.37	214.20	4720.95
17	केरल	5536.64	1597.17	3514.27	7597.69	0.00	1543.59
18	लक्षद्वीप	27.82	0.00	4.44	23.32	0.00	2.61
19	मध्य प्रदेश	12320.53	5762.48	18581.47	33785.11	0.00	6260.51
20	महाराष्ट्र	12821.10	3886.76	11795.62	22028.56	0.00	5486.80
21	मणिपुर	1474.07	65.81	75.00	274.23	0.00	203.87
22	मेघालय	1110.83	69.29	102.00	183.25	0.00	134.85
23	मिजोरम	710.78	233.33	294.70	665.52	0.00	71.81
24	नागालैंड	1035.06	0.00	52.00	101.44	0.00	116.54
25	दिल्ली	2008.90	407.75	795.75	2542.92	0.00	712.02
26	ओडिशा	7143.33	0.03	383.00	0.20	0.00	0.00
27	पुदुचेरी	331.68	13.67	63.53	315.60	0.00	52.77
28	पंजाब	4648.73	786.32	1141.42	5977.32	888.42	869.37
29	राजस्थान	11486.97	788.35	9605.43	22409.80	0.00	4119.94
30	सिक्किम	354.33	11.38	21.00	215.02	0.00	23.92
31	तमिलनाडु	12087.85	0.00	658.00	4158.83	0.00	771.77
32	तेलंगाना	7196.40	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	1845.49	16.57	96.00	578.32	0.00	363.16
34	उत्तर प्रदेश	33616.64	4778.15	14216.71	41414.50	430.05	10271.79
35	उत्तराखंड	2610.99	640.06	1425.66	2158.77	0.00	317.66
36	पश्चिम बंगाल	10245.03	144.39	2938.72	12465.83	0.00	1534.90
योग		**204859.26**	**32757.71**	**104955.77**	**236245.76**	**1964.49**	**55303.01**

नोट : स्कीम पूरे देश में 01.01.2017 से क्रियान्वित की गई ।

* व्यय में पिछले वर्ष (वर्षों) की अप्रयुक्त शेष राशि शामिल है ।

अनुलग्नक-III

'कुपोषण की व्याप्ति' विषय के बारे में दिनांक 28.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में आंगनवाडी सेवाओं के तहत निर्मुक्त निधि तथा व्यय की गई निधि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	31467.53	31090.13	31596.87	29420.29	37353.55	वित्त वर्ष 2018-19 की खर्च न की गई शेष/अतिरिक्त राशि को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्राप्त होने के पश्चात 2019-20 के दौरान निर्मुक्त की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाएगा ।	11948.05	-
2	बिहार	52520.17	51838.87	53741.97	59979.55	76987.83		25941.76	-
3	छत्तीसगढ	22461.93	25487.02	25724.9	22905.04	24279.95		9936.6	-
4	गोवा	591.45	884.88	1011.2	1006.72	859.5		281.82	-
5	गुजरात	36162.61	46423.76	38496.97	38012.71	32051.56		11929.8	-
6	हरियाणा	7131.04	5538.78	3945.75	3605.39	7305.22		2803.38	-
7	झारखंड	28723.1	28723.1	25347.42	25347.42	29083.25		10663.86	-
8	कर्नाटक	33914.94	44701.7	56009.24	50008.99	43588.97		18182.71	-
9	केरल	8305.96	10986.56	10976.6	10977.18	10785.38		3954.43	-
10	मध्य प्रदेश	55779.33	66831.1	66775.88	67623.32	64088.78		23188.49	-
11	महाराष्ट्र	32053.19	-4711.75	41445.78	58718.77	106535.22		20186.91	-
12	ओडिशा	25519.58	34281.29	47316.24	44358.57	43450.56		17016.35	-
13	पंजाब	3124.57	2262.07	5282.25	808.74	3744.1		2745.67	-
14	राजस्थान	33045.65	39037.63	34931.86	36660.76	34950.74		12181.34	-
15	तमिलनाडु	26017.9	28261.07	33186.7	33211.48	37271.35		13110.55	-
16	तेलंगाना	17418.86	17473.25	18130.74	19005.85	22045.61		7762.52	-
17	उत्तर प्रदेश	160784.24	166204.43	129353.52	77776.61	104579.08		57257.2	-
18	पश्चिम बंगाल	30462.46	54066.25	67697.94	81324.81	68046.87		19954	-
19	दिल्ली	7551.09	4163.28	4051.41	763.89	3474.65		2479.46	-
20	पुदुचेरी *	1702.02	1702.02	851.02	851.02	0		0	-
21	हिमाचल प्रदेश	4662.06	4662.06	5795.63	5795.62	6976.21		2557.95	-
22	जम्मू और कश्मीर	4035.18	-878.69	4035.17	-3195.48	2128.5		1560.91	-
23	उत्तराखंड	4649.44	8469.13	15212.13	16734.26	13612.57		4433.16	-
24	अंडमान और निकोबार	262.68	262.68	284.57	284.57	369.94		135.65	-
25	चंडीगढ़	190.49	190.49	592.09	592.09	769.72		282.23	-
26	दादर और नागर हवेली	203.8	203.8	129.89	129.89	168.86		61.91	-
27	दमन और दीव	174.12	174.12	130.83	130.83	170.08		62.36	-
28	लक्षद्वीप	68.32	68.32	85.35	85.35	100.26		36.76	-
29	अरुणाचल प्रदेश	4052.72	3566.85	4035.02	3435.74	4411.4		1276.89	-
30	असम	17921.03	13600.43	31554.71	17113.82	30597.01		16513.9	-
31	मणिपुर	500	-508.83	5244.2	3323.32	7134.08		3320.15	-
32	मेघालय	11184.72	12428.25	12238.89	12306.83	12364.04		3838.34	-
33	मिजोरम	2156.92	1696.04	1539.37	1140.09	1843.36		822.3	-
34	नागालैंड	10611.05	10708.83	7000.08	6422.66	8231.2		2655.9	-
35	सिक्किम	644.34	470.73	481.21	180.76	450.66		194.27	-
36	त्रिपुरा	4010.56	3816.93	6456.59	6749.82	7781.78		2993.23	-
योग		**680065.05**	**714176.58**	**790689.99**	**733597.28**	**847591.84**		**312270.81**	**-**

नोट : **(1)** निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विगत वर्ष में अप्रयुक्त शेष राशि/अतिरिक्त व्यय का समायोजन करने के बाद अनुमोदित आवंटन में से निर्मुक्त की गई है ।

(2) प्रयुक्त नेगेटिव निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष निधि दर्शाती है ।

(3) प्रयुक्त निधि पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष निधि की उपलब्धता के कारण निर्मुक्त निधि/स्वीकृत आवंटन से अधिक है ।

(4) # राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अनुलग्नक-IV

'कुपोषण की व्याप्ति' विषय के बारे में दिनांक 28.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में किशोरियों के लिए स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि तथा व्यय की गई निधि की स्थिति

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आंध्र प्रदेश	762.99	1710.10	2259.52	2050.18	1011.98	139.57	74.82
2	अरुणाचल प्रदेश	126.25	83.49	87.96	42.76	0.00	18.44	32.34
3	असम	1356.94	149.18	341.92	0.00	0.00	774.51	38.73
4	बिहार	2696.83	2315.55	4003.74	2742.76	25.54	686.12	463.92
5	छत्तीसगढ़	1389.69	2772.50	2792.61	1795.87	724.75	61.70	48.40
6	गोवा	131.50	259.21	302.77	345.84	0.40	0.20	0.05
7	गुजरात	8443.18	6323.17	2690.09	4989.00	5092.44	1206.18	838.87
8	हरियाणा	104.74	573.65	589.97	363.75	37.41	44.71	18.96
9	हिमाचल प्रदेश	720.45	1349.14	1129.42	372.18	0.00	1.71	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	194.63	184.69	255.91	26.67	560.39	0.00	46.53
11	झारखंड	145.57	1465.35	1495.55	154.54	0.00	0.00	254.39
12	कर्नाटक	740.73	2642.58	2466.93	1819.93	923.76	880.33	992.64
13	केरल	1057.73	893.89	692.91	996.27	289.74	0.00	1.08
14	मध्य प्रदेश	5302.02	8466.04	8641.18	7125.70	5442.40	2810.48	767.44
15	महाराष्ट्र	5334.42	3541.02	3995.68	3530.70	3536.78	2715.98	539.06
16	मणिपुर	49.65	161.87	170.28	62.34	0.00	34.21	12.61
17	मेघालय	919.65	919.65	528.83	540.36	12.55	23.75	14.85
18	मिजोरम	91.78	103.40	123.95	123.15	69.32	69.32	13.16
19	नागालैंड	206.31	206.31	193.14	191.61	214.30	139.36	25.02
20	ओडिशा	2867.25	3443.78	2442.60	2345.40	866.77	0.00	72.60
21	पंजाब	0.00	448.77	40.60	313.99	26.30	43.13	0.00
22	राजस्थान	0.00	22.49	39.38	0.00	0.00	59.39	0.00
23	सिक्किम	32.54	16.90	15.42	27.45	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	2655.26	3076.85	3196.22	1945.25	0.00	32.28	95.48
25	तेलंगाना	572.39	0.00	81.40	765.58	107.49	0.00	121.85
26	त्रिपुरा	334.81	819.62	674.38	210.06	19.16	103.19	18.48
27	उत्तर प्रदेश	10932.99	7631.00	4486.13	5681.34	1000.35	0.00	1827.57
28	उत्तरांचल	43.02	3.77	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	40.41	340.08	282.47	992.63	101.85	0.00	126.72
30	अंडमान व निकोबार	107.05	50.65	51.35	15.52	3.18	0.19	0.87
31	चंडीगढ़	12.11	7.84	12.68	5.81	2.33	1.66	2.06
32	दमन और दीव	14.14	15.94	14.14	14.07	4.53	4.53	0.00
33	दादर और नागर हवेली	16.44	16.44	16.44	12.64	4.94	0.00	0.21
34	दिल्ली	276.66	687.49	490.19	570.32	320.48	18.29	7.84
35	लक्षद्वीप	2.20	1.80	11.65	2.82	3.11	0.12	0.04
36	पुदुचेरी	17.72	18.67	8.81	4.74	1.63	0.04	0.00
	कुल	**47700.06**	**50722.88**	**44629.53**	**40181.23**	**20403.88**	**9869.39**	**6456.59**

निधियों का उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास एक विशेष वर्ष ने उपलब्ध कुल निधियों के विरूद्ध है, जिसमें पिछले वर्ष की बचत शामिल हैं ।. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रथम तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट 15 जूलाई, 2019 तक प्रस्तुत की जानी है